न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 19/2021

उनवान

राजेन्द्र सैनी पुत्र लालचन्द सैनी जाति माली निवासी ग्राम राताखेडा, नसीराबाद
——— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. गोपाल पुत्र सांवरा
2. जगदीश पुत्र सांवरा
3. मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड, नसीराबाद
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 3 अनुपस्थित
4 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

–: आदेश :– दिनांक :– 3.7.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राताखेडा, तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 507 रकबा 0.12, 508 रकबा 0.61, 509 रकबा 0.24 की आराजी प्रार्थी की एकल खातेदारी में है। प्रार्थी के पास उक्त आराजी पर आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। तथा ग्राम देराठू अप्रार्थी के खसरा नम्बर 2551 रकबा 1.14 में से आवागमन किया जाता है। उक्त आराजी के अडवा नसीराबाद से रामसर रोड है। है। इस मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी को ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 2551 में से 30 फिट चौडा मार्ग उपलब्ध कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित रहे। तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया गया। ग्राम राताखेडा, तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 507 रकबा 0.12, 508 रकबा 0.61, 509 रकबा 0.24 की आराजी प्रार्थी की एकल खातेदारी में तथा ग्राम देराठू के खसरा नम्बर 2551 रकबा 1.14 अप्रार्थी संख्या [illegible] की खातेदारी की है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा [illegible] 508 व 509 में आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख में काई रास्ता नही है। [illegible] मौके पर दो तरफ काटो की बाड लगा रखी है। प्रार्थी द्वारा बता[illegible] 498 व 506 खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:58:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खेतों में से आवागमन करते है। मार्ग हेतु 0.0162 है. भूमि प्रस्तावित की गयी है। रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी के पास अवागमन हेतु कोई मार्ग राजस्व अभिलेख में नही है। खसरा नम्बर 498 व 506 अन्य व्यतियों की खातेदारी में है। साथ ही उक्त खसरा नम्बर से मार्ग दीर्घतम है। जबकि खसरा नम्बर 2551 में से चाहा गया मार्ग लघुतम है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग व राजस्व अभिलेख में अन्य कोई मार्ग नही है। मार्ग की आत्यतिंक आवश्यकता सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 3 के पास रहन रखी है। किन्तु खसरा नम्बर 2551 पर बैंक रहन का कोई प्रभाव नही पेडेगा। मौका रिपोर्ट में कोई विपरित तथ्य प्रकट नही किया गया है। अप्रार्थीगण 1 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक, दीर्घ, लघु मार्ग उपलब्ध होना भी सिद्व नही किया है। प्रकरण के खण्डन में कोई तथ्य पत्रावली में नही है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 2551 में से 0.0162 है. रकबा सिवायचक खाते में गै.मु. रास्ता (30 फिट चौडा) दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद प्रार्थी द्वारा रास्तें की भूमि के बदले अक्षरे 13567/– अक्षरे तेरह हजार पांच सौ सठसठ रूपये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को भुगतान होने के बाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:58:18 IST
Reason: SelfAttested